बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
–:: अधिसूचना ::–

सं० सं०–17/विविध 01–157/2025 – 111(17) पटना, दिनांक :– 27/01 /2026

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को अगले आदेश तक के लिए स्तम्भ–04 मे अंकित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	विभाग/वर्तमान पदस्थापन संस्थान का नाम	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	डा० नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्राध्यापक	मनोरोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
2	डा० कुमारी विभा प्राध्यापक	स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर
3	डा० महेश प्रसाद, प्राध्यापक	पैथोलॉजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर
4	डा० लता शुक्ला द्विवेदी, प्राध्यापक	स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी	प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी

2. उक्त अधिसूचना दिनांक–01.02.2026 से प्रभावी होगी।

3. अधिसूचित प्राचार्य/अधीक्षक को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–9262/वि0, दिनांक–01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–84 के अंतर्गत संबंधित संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

4. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि वे संबंधित को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर अधिसूचित चिकित्सक शिक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में नहीं रहेंगे।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश यदि कोई हो तो, इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. विभागीय आदेश संख्या–1081(17) दिनांक–18.11.2022 एवं शुद्धि–पत्र ज्ञापांक–1190(17) दिनांक–13.12.2022 द्वारा पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को दिया गया है, जो वर्तमान में भी प्रभावी रहेगी।

8. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(हिमांशु शर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।

D/R/Adhisuchna

१२

सं० सं०– 17/विविध 01–157/2025– 111(17) पटना, दिनांक :–27/01/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सबंधित जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा–17)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 07, 08, 09, एव 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/1/26

सरकार के विशेष सचिव।

D/R/Adhisuchna